अध्याय 6

केंद्रीय विक्रय कर

धारा 2 का संशोधन। **143.** केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम कहा गया है) धारा 2 में, 1956 का 74 खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(छ) "विक्रय" से, उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित माल में की संपत्ति का एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नकदी के लिए या आस्थगित संदाय के लिए या किसी मूल्यवान प्रतिफल के लिए किया गया कोई अंतरण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(i) किसी माल में की संपत्ति का नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए अंतरण, जो किसी संविदा के अनुसरण में किए गए अंतरण से भिन्न है;

(ii) किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अंतर्ग्रस्त माल में की संपत्ति का अंतरण (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में);

(iii) भाड़ा क्रय या किस्तों द्वारा संदाय की किसी पद्धति पर माल का परिदान ;

(iv) नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी प्रयोजन के लिए किसी माल के उपयोग के अधिकार का अंतरण (चाहे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं) ;

(v) किसी अनिगमित निगम या व्यक्ति निकाय द्वारा उसके सदस्य को नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल का प्रदाय ;

(vi) ऐसे माल का, जो खाद्य या मानव उपभोग की कोई अन्य वस्तु या कोई पेय है (चाहे मादक है या नहीं), किसी सेवा के रूप में या उसके भागरूप में या किसी अन्य रीति में, चाहे जो भी हो, प्रदाय, जहां ऐसा प्रदाय या सेवा नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है,

किंतु इसके अंतर्गत माल का बंधक या आड्मान या उसका पारित किया जाना या गिरवी रखा जाना नहीं है;'।

धारा 6क का संशोधन। **144.** केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 6क की उपधारा (1) में, "ऐसे माल के भेजने के साक्ष्य के साथ दे सकेगा" शब्दों के पश्चात्, "और यदि व्यौहारी ऐसी घोषणा प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो माल का संचलन इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए विक्रय के परिणामस्वरूप होने से हुआ समझा जाएगा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 8 का संशोधन। **145.** केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8 में,—

(i) उपधारा (1) में, "उसके आवर्त के चार प्रतिशत" शब्दों के पश्चात्, "या समुचित राज्य के भीतर उस राज्य की विक्रय कर विधि के अधीन ऐसे माल के विक्रय या क्रय को लागू दर पर होगा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में,—

(क) खंड (क) में, "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (ख) में, "इन दोनों में से जो भी अधिक हो" शब्दों के स्थान पर, "इन दोनों में से जो भी अधिक हो, और" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) "और ऐसे परिकलन के प्रयोजन के लिए" शब्दों से आरंभ होने वाले और " जिम्मेदार व्यौहारी है ।" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ग) ऐसे माल की दशा में जिसका, यथास्थिति, विक्रय या क्रय समुचित राज्य की विक्रय कर विधि के अधीन साधारणतया छूट प्राप्त है, शून्य होगा,

और खंड (क) या खंड (ख) के अधीन ऐसी किसी संगणना के प्रयोजन के लिए, ऐसे किसी व्यौहारी को, इस बात के होते हुए भी कि वह वास्तव में उस विधि के अधीन इस प्रकार दायी नहीं होगा, समुचित राज्य की विक्रय कर विधि के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी व्यौहारी समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी माल के विक्रय या क्रय को समुचित राज्य की विक्रय कर विधि के अधीन साधारणतः दर से छूट प्राप्त नहीं समझा जाएगा यदि उस विधि के अधीन ऐसे माल का विक्रय या क्रय केवल विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में या विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन या विनिर्दिष्ट व्यौहारियों के वर्ग के संबंध में छूट प्राप्त है या ऐसे माल के विक्रय या क्रय पर कर विनिर्दिष्ट प्रक्रमों में या माल के आवर्त के प्रति निर्देश से अन्यथा उद्गृहीत किया जाता है । ";

(iii) उपधारा (2क) का लोप किया जाएगा;

(iv) उपधारा (3) के खंड (ख) में, "विक्रय के लिए या" शब्दों के पश्चात्, "दूर संचार नेटवर्क में या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(v) उपधारा (5) में,—

(क) आरंभिक पैरा में, "राज्य सरकार" शब्दों के पश्चात् "व्यौहारी द्वारा उपधारा (4) में अधिकथित अपेक्षाओं के पूरा किए जाने पर" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (क) में, "अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में" शब्दों के पश्चात्, "किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी या सरकार को" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) खंड (ख) में "अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में ऐसे किसी व्यौहारी द्वारा, जिसका उस राज्य में कारबार का स्थान हो" शब्दों के पश्चात्, "किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी या सरकार को" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 15 का संशोधन। **146.** केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 15 के खंड (क) में, "और ऐसा कर, एक से अधिक प्रक्रमों पर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।